



सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वन/जलागम प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2021-22



उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची


क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2
2.	महत्वपूर्ण बिन्दु	3
3.	संस्तुतियां	4-5
4.	परिचयात्मक	6
5.	संरचना	7
6.	भाग-प्रथम (लेखा)	8-18
7.	भाग-द्वितीय (लेखा परीक्षा)	19
8.	परिशिष्ट-1 से 18	20-46

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के प्रस्तर 9.10 के प्रावधान के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा तैयार की जाती है एवं अनुवर्ती वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को भेज दी जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों के लेखों के रख-रखाव एवं लेखांकन में परिलक्षित अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को इंगित करके उनमें आवश्यक सुधार करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखापरीक्षा कार्यालय के द्वारा लेखापरीक्षा में यदि महत्वपूर्ण अनियमितताएं पायी जाती हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है। वन विभाग के लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों, प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं होती है, इसलिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की सम्भावनायें हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के लेखा कर्मचारियों/अधिकारियों को लेखांकन की त्रुटियों को सुधारने तथा भविष्य में नियमानुसार कार्य सम्पादित करने की दृष्टि से मार्गदर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक: 27/12/2022
स्थान: देहरादून


राजीव कुमार
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड

**महत्वपूर्ण बिन्दु
प्रथम भाग लेखा**

1. उत्तराखण्ड राज्य में IFMS प्रणाली लागू किया जाना (प्रस्तर-1)।
2. कुछ प्रभागों द्वारा संपूर्ण मासिक लेखे (भौतिक प्रति के रूप में) प्रेषित ही न किया जाना एवं प्रभागों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना (प्रस्तर-2)।
3. प्रभागों द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान नहीं कराया जाना (प्रस्तर-3)।
4. मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजा जाना तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित नही कराया जाना (प्रस्तर-4)।
5. माह के दौरान निर्गत E-payment के सापेक्ष भुगतान के पश्चात् अवशेष E-payment का विवरण उपलब्ध नही कराया जाना (प्रस्तर-5)।
6. विभिन्न प्रभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में वन अग्रिम की वसूली/समायोजन न किया जाना (प्रस्तर-6)।
7. मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के विभिन्न प्रपत्रों/प्रमाणकों तथा अनुसूचियों में अपूर्ण लेखा वर्गीकरण का अपूर्ण अंकन (प्रस्तर-7)।
8. संकलित मासिक लेखे में आयकर, स्टाम्प ड्यूटी तथा बिक्री कर को अनावश्यक दर्शाया जाना (प्रस्तर-8)।
9. मासिक लेखे के साथ सीसीएल/डीसीएल पासबुक संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-09)।
10. मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र (ई-23) संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-10)।
11. लेखों से सम्बंधित अन्य विभिन्न त्रुटियां (प्रस्तर-11)।
12. वर्ष 2021-2022 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक प्रकरण/अंतिम भुगतान/नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में (प्रस्तर-12)।

द्वितीय भाग लेखापरीक्षा

1. लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताएँ।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार (लेखा0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में वन विभाग एवं जलागम परियोजना के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित/कोषागार द्वारा प्रेषित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और प्रकाश में आये परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा वन विभाग एवं जलागम परियोजना के अधिकारियों को राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के बाद मासिक लेखों को अग्रिम आदेश तक भौतिक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित है:-

1. कार्यालय महालेखाकार को मासिक लेखे अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि तक भेजना सुनिश्चित करें।
2. इस कार्यालय द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के मिलान हेतु निर्धारित तिथि तक आंकड़ों का मिलान कराना सुनिश्चित करें।
3. वर्गीकृत सार में निर्धारित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।
4. वन/जलागम प्रभागों के माह के दौरान अनाहरित अवशेष चेकों की सूची मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।
5. संकलित मासिक लेखों में स्टाम्प ड्यूटी, आयकर तथा बिक्री कर की राशि को सम्मिलित न किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वन प्रेषण के अन्तर्गत कोषागार में जमा धनराशि के चालानों की प्रति एवं विवरण सूची अनिवार्य रूप से मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।

7. मासिक लेखे के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों/प्रमाणकों/अनुसूचियों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण (15 अंकीय) अंकित करना सुनिश्चित करें।
8. विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य निष्पादन हेतु दी जाने वाली वन अग्रिम राशि का समायोजन/वसूली वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
9. विभाग एवं प्रभागों से सेवानिवृत्त होने वाले व सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के सा.भ.नि. के ऋणात्मक प्रकरणों की वसूली कराना सुनिश्चित करें।
10. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी सा0भ0नि0 खाते में जमा धनराशि अद्यतन ब्याज सहित चालान के माध्यम से उनके तृतीय श्रेणी सा0भ0नि0 खाते में स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
11. संकलित मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय-व्यय प्रपत्र (ई-23) की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
12. संकलित मासिक लेखों के साथ सीसीएल/डीसीएल पासबुक एवं कोषागार मिलान की सत्यापित प्रति प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2021-22 की वार्षिक समीक्षा आख्या

परिचयात्मक:

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न प्रभागों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में सम्मिलित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31.03.2022 को वन विभाग (परिशिष्ट-1) एवं जलागम (परिशिष्ट -2) परियोजना के प्रभागों की कुल संख्या 57 थी। विभाग वार प्रभागों की संख्या निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	विभाग	प्रभागों की संख्या
1.	वन विभाग के वृत्त/प्रभाग	46
2.	जलागम परियोजना के वृत्त/प्रभाग	11
	योग	57

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

प्रथम-भाग: इस भाग में प्रभागों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को शामिल किया गया है।

द्वितीय-भाग: इस भाग में लेखापरीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान वन प्रभागों में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

भाग-प्रथम
(लेखा)

प्रस्तर 1: राज्य में वन एवं जलागम प्रभागों में IFMS प्रणाली का लागू किया जाना:-

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक: 129/XXVII (6)/एक/2018/2019 दिनांक: 29/03/2019 एवं पत्रांक: 306/XXVII (6)/430/एक/2018/2019 दिनांक: 05/09/2019 के द्वारा वन लेखों के प्रेषण के संबंध में IFMS प्रणाली राज्य में अप्रैल 2019 से लागू की गयी है। इस प्रणाली के अंतर्गत वन एवं जलागम प्रभागों के मासिक लेखे कोषागार के माध्यम से IFMS Generated प्रेषित किये जाते हैं। अतः उक्त शासन आदेश दिनांक: 05.09.2019 के अनुसार वन लेखों से सम्बन्धित वन प्रेषण (8782-00-103) को दिनांक: 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार सम्बन्धित लेखा संहिता वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VII में भी संशोधन अपेक्षित है।

लेखाशीर्ष 8782-00-103 के समाप्त होने के उपरान्त भी कुछ प्रभागों द्वारा लेखाशीर्ष 8782-00-103 के अंतर्गत चालान के द्वारा राशियों को जमा किया जा रहा है जबकि 8782 से सम्बन्धित आँकड़ों को सीधे 8443-00-109 में जमा करना तर्कसंगत है।

प्रस्तर 2 (अ) कुछ वन प्रभागों द्वारा संपूर्ण मासिक लेखे प्रेषित न किया जाना:-

अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू की गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी कि प्रत्येक वन एवं जलागम प्रभाग मासिक लेखों को संबंधित कोषागार को प्रेषित करेंगे। संबंधित कोषागार इन लेखाओं को संकलित कर कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। सभी कोषागार नियमित रूप से मासिक लेखों को संकलित कर Interface/ IFMS Generated लेखे प्रेषित कर रहे हैं, साथ ही इन मासिक लेखों की मूल प्रति भौतिक रूप में भी इस

कार्यालय को प्राप्त कराना अनिवार्य है। परन्तु कुछ प्रभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पूर्ण मासिक लेखे इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-3 में अंकित है।

प्रस्तर 2: (ब) मासिक लेखों को विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 201 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभागों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 10 तारीख तक एवं मार्च माह के मासिक लेखे 20 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। परन्तु पाया गया कि अधिकतर वन प्रभागों के अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और ना ही विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा संबन्धित प्रभागीय अधिकारी एवं शासन को स्थिति से अवगत कराने के पश्चात् भी मासिक लेखे विलम्ब से प्रेषित किये गये और विलम्ब होने के कारण भी सूचित नहीं किये गये। सूच्य है कि मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित माह के राज्य लेखे में वन एवं जलागम प्रभागों के मासिक लेखों को शामिल न किये जाने पर उस माह के राज्य लेखे का वास्तविक व्यय चिन्हित नहीं हो पाता है।

यहाँ यह सूचित करना भी आवश्यक है कि IFMS प्रणाली लागू होने/कोषागारों द्वारा IFMS के माध्यम से मासिक लेखे प्रेषित करने के साथ-साथ वन एवं जलागम प्रभागों द्वारा पूर्व की भाँति (अगले आदेश तक) इस कार्यालय को मासिक लेखे प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले लेखों की माहवार स्थिति निम्न तालिका-1 में अंकित है तथा विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रभागवार एवं माहवार स्थिति परिशिष्ट '4' एवं '5' में दी गई है।

तालिका-1

माह	माह में कुल लेखों की संख्या		नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या		विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत	
	वन	जलागम	वन	जलागम	वन	जलागम
04 / 2021	46	11	46	11	100	100
05 / 2021	46	11	33	07	72	64
06 / 2021	46	11	31	04	67	36
07 / 2021	46	11	34	05	74	45
08 / 2021	46	11	33	03	72	27
09 / 2021	46	11	32	04	70	36
10 / 2021	46	11	41	06	89	55
11 / 2021	46	11	34	05	74	45
12 / 2021	46	11	42	04	91	36
01 / 2022	46	11	40	09	87	82
02 / 2022	46	11	37	06	80	55
03 / 2022	46	11	38	03	83	27
वार्षिक औसत प्रतिशत					80	51

शासन को ऐसे प्रभागों को कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है एवं कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को भी अवगत कराना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-3: वन प्रभागों द्वारा त्रैमासिक लेखा मिलान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये प्रभागीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक व्यय पर सतत् दृष्टि का अभाव:-

प्राप्ति एवं व्यय के सही तथा वास्तविक आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु वन प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गये आंकड़ों

से मिलान किया जाना अति आवश्यक है, जिससे राज्य सरकार के लेखों में लेखाशीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित हो सके। अतः प्रभागीय अधिकारियों को अपने प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों का इस कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मिलान निम्न निर्धारित दिनांक तक कराना आवश्यक / वांछित था:-

क्रम सं०	त्रैमास	लेखे की अवधि	मिलान की निर्धारित तिथि
1.	प्रथम	अप्रैल से जून तक	13.09.2021 से 30.09.2021 तक
2.	द्वितीय	जुलाई से सितम्बर तक	01.12.2021 से 10.12.2021 तक
3.	तृतीय	अक्टूबर से दिसम्बर तक	21.02.2022 से 11.03.2022 तक
4.	चतुर्थ	जनवरी से मार्च तक	15.05.2022 से 30.05.2022 तक

परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 25 प्रभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा त्रैमासिक मिलान हेतु प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़े भेजे ही नहीं गये। ऐसे प्रभागों की सूची **परिशिष्ट-6** में दर्शायी गयी है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि 09 प्रभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा त्रैमासिक मिलान हेतु प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़े विलम्ब से भेजे गये। ऐसे प्रभागों की सूची **परिशिष्ट-7** में दर्शायी गयी है।

कोषागार से प्राप्त वन विभाग के लेखों के सम्बन्ध में यह भी पाया गया कि प्राप्ति शीर्ष '0406 में आंकड़ों का मिलान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसी भी वन प्रभाग द्वारा नहीं कराया गया जबकि प्राप्ति शीर्ष से सम्बन्धित लेखा का मिलान कार्य कराया जाना भी अत्यन्त आवश्यक था। वर्ष 2021-22 में लेखाशीर्ष 0406 के अन्तर्गत मिलान योग्य धनराशि रु 5115541439/- थी।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मिलान प्रक्रिया का उद्देश्य लेखाओं में पायी गयी किसी भी कमी/त्रुटि को सुधारना है जिससे कि राज्य के मासिक लेखों में आय एवं व्यय की धनराशि आवंटित बजट के सापेक्ष सही परिलक्षित हो। मिलान न कराने एवं विलम्ब से मिलान कराने से मासिक लेखों में राज्य की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं हो पाती है।

अतः शासन से अनुरोध है कि सम्बन्धित विभागों को निर्धारित तिथि तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का, महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से मिलान कराने हेतु आवश्यक निर्देश दें। व विभागों में समय पर मिलान सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन की प्रणाली विकसित करें एवं उसका सतत् पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करायें।

प्रस्तर-4: मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजा जाना तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित न किया जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 200 के अनुसार प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। परन्तु वर्ष 2021-22 में पाया गया कि कतिपय प्रभागों द्वारा मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति प्रेषित नहीं की गयी है। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-8 पर अंकित है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 188 के अनुसार व्यय के वर्गीकृत व्यय सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए, ताकि लेखों में दर्ज आंकड़ों की सत्यता सिद्ध हो सके, परन्तु पाया गया है कि उक्त नियम का पालन प्रभागों द्वारा नहीं किया गया। प्रकरण को उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में इस आशय से लाया जाता है कि प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट: 9) के अनुसार भेजना सुनिश्चित किया जाये।

प्रस्तर-5: माह के दौरान निर्गत E-payment के सापेक्ष भुगतान के पश्चात् अवशेष E-payment का विवरण उपलब्ध न कराया जाना:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड 1 के प्रस्तर 9.3 के अनुसार प्रभागों द्वारा प्रतिमाह प्रपत्र ई-6 में निर्गत E-payment में से कोषागार द्वारा भुगतान के पश्चात् अवशेष E-payment को कोषागार से मिलान करने के उपरान्त उनकी विवरण सूची मासिक संकलित लेखे के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है, परन्तु पाया गया है कि वन प्रभागों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया, जिस कारण अवशेष भुगतान की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो पाई है। उच्चाधिकारियों/शासन से अपेक्षा की जाती है कि प्रभागीय अधिकारियों को उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाये।

प्रस्तर-6: वन प्रभागों के संवितरकों (अधिकारी/अधिनस्थ कर्मचारी) को दिये गये वन अग्रिम धनराशि का समायोजन/वसूली न किया जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-154 के अन्तर्गत वन विभाग के प्रखण्डों के संवितरक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान हेतु वन अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। नियमानुसार इन अग्रिमों का समायोजन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही किया जाना अपेक्षित है। यदि अग्रिमों का समायोजन न हो पाये तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा असमायोजित धनराशि को शासकीय लेखे में वापस जमा किया जाना चाहिए। विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में यदि असमायोजित अवशेष राशि की वसूली सम्बन्धित संवितरक अधिकारी/कर्मचारी से किया जाना सम्भव न हो तो इस धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-166 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन लेखाशीर्षक "प्रकीर्ण" के अधीन बट्टे खाते में डाला जा सकता है।

समीक्षा में पाया गया है कि 16 प्रखण्डों द्वारा वर्ष 2021-22 में दिये गये वन अग्रिम रू 109243.81/- का समायोजन/वसूली अद्यतन लम्बित है। जिसका विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है। प्रकरण आवश्यक समायोजन/वसूली हेतु उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृतसार (ई-11), प्रगामी आय/व्यय पत्रक (ई-7) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन-देनों से सम्बन्धित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण न अंकित किया जाना।

नियमानुसार राजस्व एवं व्यय से सम्बन्धित विभिन्न लेन-देनों का लेखा वर्गीकरण 15 अंकीय संहिता में प्रत्येक अभिलेख पर निम्न क्रम में अंकित किये जाने चाहिए:-

1. राजस्व (प्राप्ति):

मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष ।

2. व्यय (भुगतान):

अनुदान संख्या → मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष ।

विभिन्न वन प्रभागों/जलागम प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखा के साथ संलग्न उक्त अभिलेखों की जाँच करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रभागों द्वारा उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखाशीर्ष अंकित नहीं किये गये परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में तैयार मासिक एवं वार्षिक लेखों में भी उक्त कारण से त्रुटि परिलक्षित होने की सम्भावना रहती है।

अतः प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के अभिलेखों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण का अंकन सुनिश्चित किए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रस्तर-8: संकलित मासिक लेखे में अनावश्यक रूप से आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, बिक्री कर तथा जी0एस0टी0 को दिखाया जाना:-

कुछ प्रभागों द्वारा संकलित मासिक लेखे में मुख्य लेखाशीर्ष -0021, 0030 तथा 0040 की राशियों को आय और व्यय पक्ष में दर्शाया जा रहा है जबकि इन राशियों को उक्त मुख्य लेखाशीर्ष में कोषागार में चालान के द्वारा जमा किया जाना वांछित है। कोषागार अपने मासिक लेखे के साथ उक्त मुख्य लेखाशीर्षों की जमा राशियों का विवरण महालेखाकार को प्रस्तुत करते हैं, तदनुसार इसका लेखांकन इस कार्यालय के वी0एल0सी0 अनुभाग द्वारा किया जाता है। अतः वन प्रभागों द्वारा संकलित लेखे में उक्त शीर्षों में चालान द्वारा जमा राशियों को नहीं दर्शाया जाना चाहिये, क्योंकि इससे लेखांकन में असुविधा होती है तथा धनराशि के दोहरे (Double) लेखांकन की सम्भावना रहती है, ऐसे प्रभागों का विवरण परिशिष्ट-11 पर अंकित है।

प्रस्तर-9: मासिक लेखों के साथ सी0सी0एल0 / डी0सी0एल0 पासबुक संलग्न न किया जाना:-

वन/जलागम प्रभागों द्वारा माह के दौरान सिविल/जमा कार्यों में व्यय की गयी धनराशि का मासिक लेखे से मिलान हेतु डी0सी0एल0 पासबुक के प्रपत्र का मासिक लेखों के साथ प्रेषित करना आवश्यक होता है। परन्तु कुछ वन/जलागम प्रभागों द्वारा उक्त प्रपत्र मासिक लेखों के साथ संलग्न न किये जाने से व्यय के मिलान का कार्य बाधित होता है। उक्त प्रपत्र संलग्न न करने वाले प्रभागों की सूची परिशिष्ट-12 में अंकित है।

प्रस्तर-10: मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र (ई-23) संलग्न न किया जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 198 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा प्रति माह वन निक्षेपों के अन्तर्गत प्राप्तियों और समायोजनों के ब्यौरे और निक्षेप की प्रत्येक मद का अन्तिम शेष पृथक-पृथक

प्रपत्र संख्या 23 में दर्शाया जाना चाहिए। जिससे प्रभागवार माह के दौरान प्राप्ति एवं व्यय और अन्तिम शेषों का मिलान किया जा सके।

समीक्षा में पाया गया कि कुछ वन प्रभागों द्वारा वन निक्षेप प्रपत्र (ई-23) मासिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया। ऐसे वन प्रभागों की सूची परिशिष्ट-13 में दर्शायी गयी है।

प्रस्तर-11: मासिक लेखों में पायी गयी अन्य त्रुटियाँ:-

वन प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखों की जाँच में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ सामान्यतः

प्रकाश में आयी हैं:-

1. कुछ वन प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में रोकड़ बही के अन्तर्गत अनुदान संख्या /मुख्य लेखाशीर्ष का उल्लेख नहीं किया गया, ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-14 में दर्शायी गयी है।
2. लेखा संहिता भाग-तीन (ACCOUNT CODE VOLUME-III) के अनुसार अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जानी चाहिए, जिससे अनुसूचियों का मिलान मासिक लेखे से करने में सुगमता रहे, परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि प्रभागों द्वारा अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर मासिक लेखे के साथ नहीं भेजी जाती हैं, जिससे अनुसूचियों से मासिक लेखा का मिलान पूर्णतः नहीं हो पाता है।
3. मासिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूचियों में योग त्रुटिपूर्ण रहता है, जिससे उक्त राशियों का मिलान रोकड़ बही से करके लेखांकन करना सम्भव नहीं हो पाता है।
4. रोकड़ बही में लेखाशीर्ष व नामावली अंकित नहीं रहती है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित रहती है, जिस कारण आय/व्यय का बजट से सही मिलान नहीं हो पाता है। अतएव लेखा वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहने की सम्भावना रहती है।

5. रोकड़ वही (ई-7) में फॉरेस्ट डिपोजिट के मदों में प्राप्ति और जमा धनराशि के सम्मुख कुछ प्रभागों द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष गलत दर्ज किया जाता है, जबकि डिपोजिट मदों की प्राप्ति में लेखाशीर्ष 8443 दर्ज होना चाहिए। गलत लेखाशीर्ष होने से लेखों में त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है।
6. कुछ प्रभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ व्यय विवरण सारांश संलग्न नहीं रहता है, जिसके कारण लेखाकन का कार्य करने में असुविधा होती है।

प्रस्तर-12: वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान/नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में।

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 तक वन विभाग के सम्बन्धित सा0भा0नि0 अधिक भुगतान प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में रु 484613/- की वसूली कई स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद अभी तक नहीं हुई है। उक्त प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट-15** में अंकित है।
2. वर्ष 2021-22 के दौरान वन विभाग से सम्बन्धित कुल 231 सा0भा0नि0 अंतिम भुगतान प्रकरण इस कार्यालय में प्राप्त हुए थे जिनमें से 226 प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा 05 प्रकरण विभाग को वापस किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी ऋणात्मक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, एवं किसी भी ऋणात्मक प्रकरण में वसूली नहीं की गई है।
3. वन विभाग के सा0भा0नि0 तृतीय श्रेणी खाता धारकों की संख्या वर्ष 2021-22 तक 1693 थी एवं वर्ष 2021-22 में चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नत हो कर कुल 29 सदस्यों के तृतीय श्रेणी में नवीन सा0भा0नि0 खाते खोले गये।
4. मुख्यालय के निर्देशानुसार लेखापर्ची कार्यालय द्वारा जारी करना बंद कर दिया गया है। अभिदाता को अपनी लेखापर्ची प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट www.agua.cag.gov.in पर सुविधा प्रदान की गयी है।

5. वर्तमान में संज्ञान में आया है कि 23 सा0भ0नि0 खातों में धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित हो रही है। धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित होने के मुख्य कारण लुप्त अंशदानों का समायोजन न हो पाना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति तृतीय श्रेणी में हो गई है, उन कर्मचारियों की धनराशि का स्थानान्तरण तृतीय श्रेणी सा0भ0नि0 में नहीं किया जाना, लेखा एवं हकदारी कार्या0 उ0प्र0 प्रयागराज से सा0भ0नि0 की वर्ष 2000 से पूर्व की कटौतियों/अवशेषों का स्थानान्तरण न होना है। उक्त ऋणात्मक प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट-16** में अंकित है।

भाग-द्वितीय

(लेखापरीक्षा)

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी अनियमितताएँ

वर्ष 2021-22 के दौरान वन प्रभागों एवं जलागम प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ/कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयी। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची **परिशिष्ट-17, 18 एवं 19** में दी गयी है।

उपर्युक्त सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। अतः शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियाँ/अनियमितताएँ लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटियों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु शासन से समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

परिशिष्ट-1

वन विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी ।
2.	022	उप वन संरक्षक	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
3.	023	उप वन संरक्षक	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी ।
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर ।
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी ।
7.	041	प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी ।
8.	042	प्रभागीय वनाधिकारी,	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ।
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
11.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग ।
12.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
13.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।
14.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
15.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
16.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।
17.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
18.	112	उप वन संरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली ।
19.	121	प्रभागीय वनाधिकारी	कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडाऊन ।
20.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडाऊन वन प्रभाग, लैंसडाऊन ।
21.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडाऊन ।
22.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून ।
23.	154	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी ।
24.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार ।
25.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।
26.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल ।
27.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।
28.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत ।
29.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी ।

क्रम संख्या	एफ0आर0 डी0कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
30.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
31.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर ।
32.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।
33.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर ।
34.	191	उप वन संरक्षक	चकराता वन प्रभाग, कालसी ।
35.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।
36.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।
37.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी ।
38.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी ।
39.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी ।
40.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल ।
41.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी ।
42.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला ।
43.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून ।
44.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल) ।
45.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल) ।
46.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी ।

परिशिष्ट-2

जलागम विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	सी-24	परियोजना निदेशक प्रशासन	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर देहरादून ।
2.	सी-26	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती ।
3.	सी-27	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी ।
4.	261	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, विकास नगर, फेज-2, देहरादून ।
5.	265	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, (पी0एम0यू0), देहरादून ।
6.	266	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, थत्यूड़, टिहरी ।
7.	267	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, पौड़ी ।
8.	273	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, बागेश्वर ।
9.	274	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, पिथौरागढ़ ।
10.	275	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, अल्मोड़ा ।
11.	268	उप परियोजना निदेशक	यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, पुरोला ।

परिशिष्ट-3

“सम्पूर्ण मासिक लेखे न प्रेषित करने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-2(अ) भाग प्रथम)

क्र० सं०	एफ.आर.डी. कोड	प्रभाग/वृत्त
वन प्रभाग		
1.	22	उप वन संरक्षक, उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी ।
2.	26	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी ।
3.	81	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
4.	85	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।
5.	164	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत ।
6.	181	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
7.	182	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
8.	185	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर ।
9.	सी०-35	उप निदेशक, प्रोजेक्ट टाइगर रामनगर ।
10.	सी०-36	निदेशक, उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी ।
11.	सी०-38	वन संरक्षक, पश्चिमीवृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।

परिशिष्ट-4
नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की सूची "वन विभाग"
(प्रस्तर-2 भाग प्रथम)

क्र० सं०	एफ.आर. डी.कोड	प्रभाग/वृत्त	2021-22 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	08.06.21	08.06.21	18.07.21	27.08.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	20.12.21	25.01.22	अप्राप्त	अप्राप्त	28.04.22
2.	022	उप वन संरक्षक, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
3.	023	उप वन संरक्षक, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	02.08.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1, नई टिहरी	अप्राप्त	11.06.21	अप्राप्त	अप्राप्त	17.09.21	08.10.21	अप्राप्त	17.12.21	अप्राप्त	09.03.22	09.03.22	अप्राप्त
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर	अप्राप्त	22.06.21	08.07.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	02.11.21	24.01.22	24.01.22	अप्राप्त	14.03.22	21.04.22
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
7.	041	प्राभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	अप्राप्त	08.06.21	12.07.21	18.08.21	20.09.21	01.11.21	22.11.21	23.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	15.03.22	अप्राप्त
8.	042	प्राभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर	अप्राप्त	11.06.21	अप्राप्त	10.08.21	03.09.21	11.10.21	15.11.21	08.12.21	11.01.22	अप्राप्त	14.03.22	18.04.22
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी	14.06.21	14.06.21	01.07.21	04.08.21	08.09.21	08.10.21	23.11.21	08.12.21	10.01.22	07.02.22	अप्राप्त	19.04.22
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर	10.06.21	10.06.21	14.07.21	10.08.21	अप्राप्त	08.10.21	17.11.21	08.12.21	11.01.22	08.02.22	15.03.22	18.04.22
11.	045	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	04.06.21	04.06.21	09.07.21	10.09.21	29.09.21	अप्राप्त	अप्राप्त	10.12.21	19.01.22	18.02.22	अप्राप्त	21.04.22
12.	081	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											

क्र० सं०	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2021.22 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
13.	082	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	अप्राप्त	11.06.21	अप्राप्त	17.08.21	13.09.21	12.10.21	18.11.21	22.12.21	अप्राप्त	18.02.22	14.03.22	अप्राप्त
14.	083	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	अप्राप्त	14.06.21	08.07.21	09.08.21	10.09.21	11.10.21	11.11.21	13.12.21	10.01.22	16.02.22	08.03.22	18.04.22
15.	084	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	08.06.21	16.06.21	12.07.21	17.08.21	13.09.21	अप्राप्त	16.11.21	13.12.21	13.01.22	16.02.22	30.03.22	25.04.22
16.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
17.	111	प्रभागीय वनाधिकारी, कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर	17.05.21	10.06.21	07.07.21	10.08.21	06.09.21	08.10.21	08.11.21	13.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	08.03.22	21.04.22
18.	112	उप वन संरक्षक, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली	अप्राप्त	10.06.21	30.06.21	04.08.21	06.09.21	08.10.21	16.11.21	13.12.21	अप्राप्त	07.03.22	07.03.22	12.04.22
19.	सी-35	निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
20.	121	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व, कालागढ़	31.05.21	14.06.21	14.07.21	14.09.21	14.09.21	अप्राप्त	23.11.21	17.12.21	24.01.22	अप्राप्त	अप्राप्त	19.04.22
21.	151	प्रभागीय वनाधिकारी, लैसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार	07.06.21	16.06.21	13.07.21	12.08.21	10.09.21	11.10.21	22.11.21	13.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	15.03.22	21.04.22
22.	152	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैसडौन	अप्राप्त	08.06.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	23.11.21	अप्राप्त	24.01.22	अप्राप्त	22.04.22	अप्राप्त
23.	153	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	11.06.21	18.06.21	14.07.21	10.08.21	08.09.21	11.10.21	12.11.21	07.12.21	13.01.22	09.02.22	अप्राप्त	21.04.22
24.	154	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	08.06.21	08.06.21	09.07.21	अप्राप्त	10.09.21	08.10.21	17.11.21	14.12.21	03.02.22	अप्राप्त	09.03.22	22.04.22
25.	155	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	14.06.21	14.06.21	09.07.21	11.08.21	16.09.21	25.11.21	25.11.21	09.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	11.03.21	13.05.22

क्र० सं०	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग/वृत्त	2021-22 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
26.	161	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल	08.06.21	08.06.21	08.07.21	07.09.21	07.09.21	अप्राप्त	08.11.21	08.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	07.03.22	25.04.22
27.	162	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल	अप्राप्त	08.06.21	अप्राप्त	06.08.21	06.09.21	12.10.21	16.11.21	अप्राप्त	07.01.22	09.02.22	08.03.22	26.04.22
28.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	अप्राप्त	11.06.21	08.07.21	17.08.21	13.09.21	12.10.21	23.11.21	10.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	21.04.22
29.	164	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
30.	181	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी												
31.	182	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी												
32.	183	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर	22.06.21	अप्राप्त	06.08.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	16.12.21	24.01.22	अप्राप्त	अप्राप्त	21.04.22
33.	184	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर,	अप्राप्त	07.07.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
34.	185	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
35.	191	उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग, कालसी	25.05.21	10.06.21	06.07.21	17.08.21	07.09.21	01.10.21	09.11.21	06.12.21	05.01.22	04.02.22	03.03.22	08.04.22
36.	192	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	अप्राप्त	08.06.21	19.07.21	11.09.21	अप्राप्त	21.10.21	अप्राप्त	15.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	02.05.22
37.	193	उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	अप्राप्त	अप्राप्त	07.07.21	09.08.21	10.09.21	11.10.21	08.11.21	10.12.21	अप्राप्त	07.02.22	अप्राप्त	13.04.22
38.	194	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	10.12.21	18.01.22	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

क्र० सं०	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2021-22 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
39.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), पौड़ी, उत्तराखण्ड	25.05.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
40.	सी-14	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड, फेरीहाल, तल्लीताल, नैनीताल	14.07.21	14.06.21	13.07.21	17.08.21	14.09.21	अप्राप्त	25.11.21	21.12.21	24.01.22	अप्राप्त	अप्राप्त	04.05.22
41.	सी-36	निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, नैनीताल	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
42.	301	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	18.08.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
43.	सी-32	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	19.05.21	11.06.21	14.07.21	09.08.21	14.09.21	11.10.21	अप्राप्त	13.12.21	25.01.22	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
44.	सी-33	उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला	08.06.21	08.06.21	22.07.21	अप्राप्त	16.09.21	अप्राप्त	अप्राप्त	22.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
45.	सी-34	निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून	18.06.21	18.06.21	08.07.21	10.08.21	07.09.21	08.10.21	17.11.21	09.12.21	अप्राप्त	अप्राप्त	08.03.22	21.04.22
46.	सी-38	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी	सभी मासिक लेखा अप्राप्त											
वन विभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग			46	33	31	34	33	32	41	34	42	40	37	38

परिशिष्ट-5
नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की सूची जलागम विभाग
(प्रस्तर-2 भाग प्रथम)

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2021-22 मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	सी-24	परियोजना निदेशक, प्रशा0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय, वसन्त विहार, देहरादून	04.06.21	04.06.21	06.07.21	13.08.21	03.09.21	06.10.21	09.11.21	अप्राप्त	05.01.22	11.02.22	09.03.22	08.04.22
2.	सी-26	परियोजना निदेशक, यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती	अप्राप्त	अप्राप्त	08.07.21	04.08.21	06.09.21	18.10.21	08.11.21	02.12.21	10.01.22	08.02.22	अप्राप्त	06.04.22
3.	सी-27	परियोजना निदेशक, यू.डी. डब्ल्यू. डी.पी. कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी	07.06.21	10.06.21	16.07.21	17.08.21	10.09.21	11.10.21	अप्राप्त	09.12.21	10.01.22	16.02.22	अप्राप्त	19.04.22
4.	261	उप परियोजना निदेशक, यू. डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, विकास नगर, देहरादून	अप्राप्त	09.06.21	08.07.21	09.08.21	10.09.21	11.10.21	09.11.21	10.12.21	10.01.22	21.02.22	09.03.22	07.04.22
5.	265	उप निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 (पी. एम0यू.) देहरादून	अप्राप्त	अप्राप्त	09.07.21	अप्राप्त	13.09.21	08.10.21	08.11.21	10.12.21	10.01.22	09.02.22	अप्राप्त	06.04.22
6.	266	उप परियोजना निदेशक यू. डी.डब्ल्यू.डी.पी., फेज-2, थत्यूड	18.06.21	18.06.21	12.07.21	13.08.21	07.09.21	07.10.21	17.11.21	14.12.21	05.01.22	22.02.22	09.03.22	21.04.22
7.	267	उप परियोजना निदेशक यू. डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2,पौड़ी	अप्राप्त	अप्राप्त	12.07.21	09.08.21	09.09.21	अप्राप्त	22.11.21	08.12.21	10.01.22	21.02.22	11.03.22	26.04.22

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2021-22 मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
8.	273	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू. डी.पी. फेज-2, बागेश्वर	अप्राप्त	10.06.21	03.07.21	10.08.21	03.09.21	11.10.21	09.11.21	08.12.21	11.01.22	23.02.22	10.03.22	21.04.22
9.	274	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू. डी.पी. गंगोलीहाट, फेज-2, पिथौरागढ़	31.05.21	15.07.21	22.07.21	09.08.21	17.09.21	अप्राप्त	20.11.21	अप्राप्त	अप्राप्त	18.02.22	अप्राप्त	11.04.22
10.	275	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू. डी.पी. फेज-2, अल्मोड़ा	14.07.21	14.07.21	14.07.21	अप्राप्त	03.09.21	अप्राप्त	अप्राप्त	30.12.21	अप्राप्त	17.03.22	अप्राप्त	11.04.22
11.	268	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू. डी.पी. फेज-2, पुरोला	28.06.21	28.06.21	13.07.21	10.08.21	अप्राप्त	11.10.21	18.11.21	30.12.21	31.01.22	02.03.22	10.03.22	07.04.22
जलागम प्रभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग			11	07	04	05	03	04	06	05	04	09	06	03
वन एवं जलागम प्रभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग (3+4)			57	40	35	39	36	36	47	39	46	49	43	41

परिशिष्ट-6

आय व्यय के आकड़ों का मिलान हेतु विभागीय आँकड़े नहीं प्रेषित करने वाले वन एवं जलागम

प्रभागों की सूची

(प्रस्तर-3 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	22	उप वन संरक्षक	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
2.	23	उप वन संरक्षक	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
3.	24	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी ।
4.	26	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी ।
5.	81	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
6.	82	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।
7.	84	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
8.	85	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।
9.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
10.	121	प्रभागीय वनाधिकारी	कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडाऊन ।
11.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल ।
12.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।
13.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत ।
14.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
15.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
16.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।
17.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर ।
18.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी ।
19.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी ।
20.	सी-14	वन वर्धनिक	हिलरीजन, नैनीताल ।
21.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी ।
22.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला ।
23.	सी-35	उप निदेशक	प्रोजेक्ट टाइगर रामनगर ।
24.	सी-36	निदेशक	उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी ।
25.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।

परिशिष्ट-7

नियत तिथि के बाद मिलान कराने वाले वन एवं जलागम प्रभागों की सूची
(प्रस्तर-3 भाग द्वितीय)

क्रम संख्या	एफ0आर0 डी0कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	21	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी ।
2.	41	प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी ।
3.	43	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ।
4.	45	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग ।
5.	83	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
6.	112	उप वनसंरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली ।
7.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून ।
8.	154	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी ।
9.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।

परिशिष्ट-8

“मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-4 भाग प्रथम)

क्र० सं०	एफ.आर. डी.कोड	प्रभाग/वृत्त	टिप्पणी
1	44	प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर	प्राप्त नहीं
2	84	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	प्राप्त नहीं
3	153	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून ।	छायाप्रति
4	161	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।	प्राप्त नहीं
5	162	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल ।	प्राप्त नहीं
6	183	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी ।	प्राप्त नहीं

परिशिष्ट-9

मासिक लेखों के साथ संलग्न वर्गीकृत सार के अन्त में दिया जाने वाला

प्रमाण-पत्र

1-मैं प्रमाणित करता हूँ कि (जहां तक मैं खातों व वाउचरों की परीक्षा द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा और सम्पादित कार्यों, जिन्हें मैं देख सका, व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा) व्यय जो इस लेखा के नामे लिखा गया है, को सरकार के हितों का उचित ध्यान रखते हुए, टाला नहीं जा सकता था। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि जहां तक मुझे जानकारी और विश्वास है इस खाते में जो भुगतान प्रविष्ट किये गये हैं वे उचित रीति से उन पक्षों को किये गये हैं जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वेतन और यात्रा भत्तों तथा वापसी एवं अग्रिमों के भुगतानों के लिये सभी वाउचर, '1000 की धनराशि के अन्य भुगतानों के वाउचर एवं समस्त मदों जिन्हें अन्य विभागों के साथ खाता Book Transfer द्वारा समायोजित किया गया हो, के लिए वाउचर उस लेखा से संबद्ध किये गये हैं। मैंने यथासंभव अन्य धनों के लिये वाउचरों को प्राप्त कर लिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ कि उन्हें इस प्रकार से नष्ट कर दिया गया है कि उनको पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

2- मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी वस्तुएं, जो इस प्रपत्र से संबद्ध किये गये वाउचरों में व्योरेवार दी गई हैं और जो इस कार्यालय में रखी गयी हैं, संयुक्त रूप से अच्छी स्थिति में प्राप्त की गई हैं और भण्डार पंजी में अभिलिखित की गई हैं। मात्राएँ सही हैं और किस्म अच्छी है, भुगतान की गई दरें स्वीकृत बाजार दरों से अधिक नहीं हैं। दोहरा भुगतान रोकने के लिये भुगतान की उचित टिप्पणियाँ सम्बन्धित मांग-पत्र और बीजकों के सम्मुख अभिलिखित कर दी गई हैं।

3-मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रपत्र से सम्बद्ध प्रपत्र एवं वाउचरों में विस्तृत रूप से दी गई दरें संविदा बन्ध-पत्र में निर्दिष्ट दरों के संदर्भ में सही है।

4- मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि पशु जिनके लिये पारितोषक आहरित किये गये हैं, को वस्तुतः नष्ट कर दिया गया है और मेरे सामने प्रस्तुत किये गये हैं और यह कि उनकी खोपड़ियों को, जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है, दोहरा भुगतान रोकने के लिये तोड़ दिया गया है।

5- यह भी प्रमाणित करता हूँ कि किये गये आंशिक भुगतान किये गये कार्य के अनुमानित मूल्य द्वारा आच्छादित हैं।

6- मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अधीनस्थ कर्मचारियों जिन्हें कार्यालय प्रासंगिक व्यय के नामे लिखा गया है, को वस्तुतः रखा गया एवं उन्हें भुगतान किया गया है तथा उनके अंगूठा निशान वितरण अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक.....

प्रभाग का प्रभारी

परिशिष्ट-10

“वन/जलागम प्रभागों की सूची जिनके द्वारा दिये गये वन अग्रिम का समायोजन/वसूली लम्बित है”
(प्रस्तर-6 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0 डी0 कोड	डी0डी0ओ0	वृत्त / प्रभाग	धनराशि रूपये में
1.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी ।	4.70
2.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर ।	0.39
3.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर ।	0.09
4.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग ।	0.47
5.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।	4.98
6.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।	3703
7.	121	उप वन संरक्षक	कालागढ़ टाईगर रिजर्व, लैसडौन ।	25488.15
8.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैसडौन ।	8.50
9.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून ।	10134
10.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर ।	9.00
11.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।	68.65
12.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत ।	135.37
13.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी ।	66572.86
14.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रूद्रपुर	0.65
15.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी ।	179.00
16.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, (नैनीताल) ।	2934.00
कुल राशि				109243.81

परिशिष्ट-11

“मासिक लेखों के साथ अनावश्यक रूप से आयकर/बिक्रीकर एवं स्टाम्प शुल्क शामिल करने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-8 भाग प्रथम)

क्र० सं०	एफ.आर.डी. कोड	प्रभाग/वृत्त
वन प्रभाग		
1.	41	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी ।
2.	42	प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
3.	45	प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग ।
4.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।
जलागम प्रभाग		
1.	261	उप परियोजनानिदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी०, विकासनगर, फेज-2, देहरादून ।
2.	265	उप निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० (पी०एम०यू०) देहरादून ।
3.	273	उप परियोजना निदेशक यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० फेज-2, बागेश्वर ।
4.	सी-24	परियोजना निदेशक, प्रशा० जलागम प्रबन्ध निदेशालय, बसन्त विहार, देहरादून ।
5.	सी-26	परियोजना निदेशक, , यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती ।
6.	सी-27	परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्यू०डी०पी० कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी ।

परिशिष्ट-12

“मासिक लेखों के साथ सी0सी0एल/डी0सी0एल0 पास बुक की प्रति संलग्न न करने वाले को प्रभाग”

(प्रस्तर- 10 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग
वन प्रभाग		
1.	43	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ।
2.	44	प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
3.	45	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग ।
4.	84	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
5.	111	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
6.	112	उप वन संरक्षक, नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली ।
7.	151	प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडाऊन वन प्रभाग, लैंसडाऊन ।
8.	155	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार ।
9.	161	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।
10.	162	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल ।
11.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।
12.	183	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
13.	192	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।

परिशिष्ट-13

“वन जमा आय-व्यय विवरण प्रपत्र (ई-23) को मासिक लेखों के साथ संलग्न न करने वाले वन प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-11 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	43	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ।
2.	84	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
3.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
4.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडाऊन ।
5.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार ।
6.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।
7.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल ।
8.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
9.	191	प्रभागीय वनाधिकारी	चकराता वन प्रभाग, कालसी ।
10.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।
11.	सी0-14	वन वर्धनिक	हिलरीजन, नैनीताल ।

परिशिष्ट-14

“मासिक लेखों में रोकड़ बही (ई-7) में अनुदान संख्या/मुख्य लेखा शीर्ष न दर्शाने वाले वन प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर- 12 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त /प्रभाग	पता
1.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी ।
2.	042	प्रभागीय वनाधिकारी	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
3.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ।
4.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग ।
5.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
6.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ ।
7.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडाऊन ।
8.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार ।
9.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि वन संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल ।
10.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।
11.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी ।
12.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।
13.	193	प्रभागीय वनाधिकारी	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।
14.	सी0-14	वन वर्धनिक	हिलरीजन, नैनीताल ।

परिशिष्ट-15

“एफ0यू0 श्रेणी के ऋणात्मक प्रकरणों (वन विभाग) का वर्ष 2021-22 तक का विवरण”
(प्रस्तर-13 बिन्दू-1 भाग प्रथम)

क्र0 संख्या	अभिदाता का नाम	लेखा संख्या	विभाग का नाम	प्रकरण संज्ञान में आने का माह	ऋणात्मक राशि (₹)
1.	श्री किशोरी लाल	FU-12352	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ।	03 / 2013	28,816
2.	स्व0 ललित मोहन जोशी	FU-15692	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।	03 / 2008	68,278
3.	श्री जीवन सिंह बिष्ट	FU-18406	वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।	08 / 2010	92,224
4.	श्री आनन्द सिंह रावत	FU-18434	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।	11 / 2009	8,513
5.	श्री हुलासी सिंह यादव	FU-18602	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।	08 / 2009	35,424
6.	श्री भुवन चन्द्र कार्की	FU-18419	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।	10 / 2014	251358
योग					484613

परिशिष्ट-16

सा0भ0नि0 खाते में धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों की सूची
(प्रस्तर-12 बिन्दू-6 भाग प्रथम)

S.N.	PRFX	GPF	EMP_NAME	DMN_DSCRPTN	DDO_ADRS1	DDO_ADRS2
1	FU	12979	PUSHPA ARYA KM	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	KUMAUN
2	FU	13099	SURESH CHANDRA BHATT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	NAINITAL	
3	FU	13754	GIRISH CHANDRA	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	HALDWANI FOREST DIVISION	HALDWANI (NAINITAL)
4	FU	14576	BALDEV SINGH	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	BADRINATH FOREST DIVISION	GOPESWAR
5	FU	14635	RAMESH CHANDRA	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	LIVELYHOOD & NTFP	DEHRADUN
6	FU	14712	PRAVEEN KUMAR	CONSERVATOR OF FOREST	NORTH KUMANYU CIRCLE	ALMORA
7	FU	15554	DAYA LAL	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	FORESTRY DIVISION	UTTARKASHI
8	FU	15886	VIJAY BAHADUR	DIVISIONAL FOREST OFFICER	SOIL CONSERVATION FOREST DIVISION	UTTARKASHI
9	FU	16322	PRADEEP SINGH RAWAT	PRINCIPAL	PRINCIPAL CONSERVATOR OF FOREST	VAN
10	FU	17746	JIVAN SINGH VISHT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	TARAI WEST FOREST DIVISION	RAMNAGAR
11	FU	17769	HARISH SINGH BISHT	CONSERVATOR OF FOREST FTI	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST UK F.T.A	HALWANI
12	FU	17784	DIWAN SINGH ADHIKARI	CONSERVATOR OF FOREST	CONSERVATOR OF FOREST	WESTERN CIRCLE
13	FU	18388	GOVIND BALLABH JOSHI	CONSERVATOR OF FOREST	CONSERVATOR OF FOREST	WESTERN CIRCLE
14	FU	18428	LALITA PRASAD PANDEY	DIVISIONAL FOREST OFFICER	DIVISIONAL FOREST OFFICER ADDITIONAL	SOIL CONSERVATION DIVISION
15	FUA	19255	CHANCHAL SINGH DANOO	CONSERVATOR OF FOREST	CONSERVATOR OF FOREST	WESTERN CIRCLE
16	FUA	19690	RISHI RAM PAINULI	DIVISIONAL FOREST OFFICER	DEHRADUN	
17	FUA	20280	MAHESH CHANDRA KAUSHIK	DIVISIONAL FOREST OFFICER	DFO KALAGARH TIGHER RESERVE DIVISION	LANSDOWNE

18	FUA	20414	SHYAM SINGH	DIVISIONAL FOREST OFFICER	SOIL CONSERVATION FOREST DIVISION	UTTARKASHI
19	FUA	20440	MAHENDRA RAM ARYA	DIVISIONAL FOREST OFFICER	NAINITAL	
20	FUA	20788	RAGHUVVEER SINGH RAWAT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	TEHRI DAM SECOND DIVISION	UTTARKASHI
21	FUA	20803	MAHESH SINGH BORA	DIVISIONAL FOREST OFFICER	NAINITAL	
22	FUA	20880	MAMTA TRIPATHI	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	VAN VARDHANIK SAAL	HALDWANI
23	FUA	20892	PREM RAM	DIVISIONAL FOREST OFFICER	SOCIAL FORESTRY DIVISION	PITHORAGARH

परिशिष्ट-17

वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान लेखाओं में पायी गयी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं का
(भाग-द्वितीय)

वन विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताएं ।			
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	आपत्ति विवरण	धनराशि (लाख में)
AMG-IV/FR-03/2021-22	उप वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग कालसी देहरादून	1-वन भूमि की लीज अवधि समाप्त होने पर लीज शर्ती के अनुरूप रु 47.73 करोड़ की राशि वसूल न किया जाना।	4773
AMG-IV/FR-03/2021-23	उप वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग कालसी देहरादून	2-विशेषज्ञ पातन समिति की संस्तुति के अनुरूप प्रकाष्ठ आवंटित न किये जाने के कारण रु 1.51 करोड़ का राजस्व प्राप्त न किया जाना।	151
AMG-IV/FR-03/2021-24	उप वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग कालसी देहरादून	3-पुनरीक्षित कार्य योजना के अनुमोदन के बिना लीसा विदोहन से रु 196.75 लाख मूल्य के अनियमित राजस्व की प्राप्ति ।	196.75
AMG-IV/FR-04/2021-22	उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग मसूरी देहरादून	1-जी.एस.टी की राशि रु 7.94 लाख सेवा प्रदाता द्वारा राजकोष में जमा न किया जाना।	7.94
AMG-IV/FR-07/2021-22	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून	1-विभाग से वसूल की गयी G.S.T की धनराशि में से ठेकेदार द्वारा रु 20.99 लाख जी.एस.टी जमा नहीं कराया जाना	20.99
AMG-IV/FR-10/2021-22	प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर वन प्रभाग मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल	1- अभिवहन शुल्क पर G.S.T जमा नहीं किया जाना रु 21.08 लाख	21.08
AMG-IV/FR-10/2021-23	प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर वन प्रभाग मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल	2- इकाई द्वारा सेवा प्रदाता को अदा किये गये जी.एस.टी रु 7.39 लाख का	7.39

		राज्य कर में जमा किये जाने का साक्ष्य न लिया गया।	
AMG-IV/FR-18/2021-22	उपवन संरक्षक, कालागढ टाईगर रिजर्व लेन्सडोन (गढवाल)	e-surveillance टावर निर्माण मै रु 123.33 लाख का अनियमित व्यय	123.33
AMG-IV/FR-19/2021-22	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी	1-आउटसोर्सिंग एजन्सि द्वारा रु 12.21 लाख की धनराशि ESI एवं EPF मद मे ऐसे कर्मचारियों के एवज मे प्रपट किया जाना जिनके खाते ही नही खुले थे एवम उनका भुगतान प्रपट कर संभन्धित कर्मचारियो के खातो मे जमा न किया जाना	12.21
AMG-IV/FR-22/2021-22	विभागीय मूल्यांकन टिप्पणी , वन विभाग उत्तराखंड (HoFF)	1-विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उदासीनता	0

परिशिष्ट-18

कैश/कैप अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय लेखापरीक्षण के दौरान लेखाओं में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण
(भाग-द्वितीय)

वन एवं जलागम प्रभाग					
क्र.सं.	नि0प्र0 सं0/लेखा ज्ञाप संख्या	खण्ड का नाम	महत्वपूर्ण अनियमितता	धनराशि रू0 में	अभिव्यक्ति
1	12	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल।	टी.डी.एस. की कटौती की गयी है या नहीं।	4455.00	
2	13 अ 13 ब	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।	टी.डी.एस. की कटौती की गयी है या नहीं।	2026385.00	निस्तारित

3	14	मुख्य परियोजना अधिकारी, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	शासनादेश का उल्लंघन व्यायवर्तन कर ₹0 13.64 लाख का कन्सलटेन्सी पर अनियमित भुगतान किया जाना।	1364208.00	
4	15	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	अग्रिम का समायोजन न करने के कारण।	68.65.00	
5	21	उपरियोजना निदेशक यू. डी.डब्लू.डी.पी. फेज-2, अल्मोड़ा।	0.37 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।	538200.00 (0.37 लाख)	निस्तारित
6	24	उपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।	6.20 लाख के लिए निविदा न करना। 4.19 लाख की सामग्री क्रय में समिति का गठन न करना।	6.20 लाख 4.19 लाख	निस्तारित
7	25	उपरियोजना निदेशक यू. डी.डब्लू.डी.पी. फेज-2, देहरादून विकासनगर।	11.51 लाख की सामग्री टुकड़ों में क्रय करना एवं निविदा प्रक्रिया का पालन न करना	11.51 लाख	निस्तारित
8	31	उपरियोजना निदेशक यू. डी.डब्लू.डी.पी. फेज-2, अल्मोड़ा।	उच्चाधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए सामग्री का क्रय नियमित अन्तराल में टुकड़ों न किया जाना।	15.75 लाख	निस्तारित
9	32	मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध, निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	टी.डी.एस. जमा के संबंध में कोई भी चालान मासिक लेखे के साथ सलंगन नहीं है।	37767.00	
10	33	निदेशक वन संरक्षक राजा जी टाइगर रिजर्व देहरादून।	मासिक लेखे के साथ वाउचर उपलब्ध न कराने के कारणों से अवगत कराना।	1619350.00	निस्तारित
11	34	उपरियोजना निदेशक यू. डी.डब्लू.डी.पी. टिहरी, थत्युड़।	शासनादेश का उल्लंघन कर 16.08 लाख का अनियमित क्रय किया गया।	16.08 लाख	निस्तारित
12	35	उपवन संरक्षक चकराता वन प्रभाग, देहरादून	मासिक लेखे के साथ वाउचर उपलब्ध न कराने के कारणों से अवगत कराना।	399018.00	निस्तारित
13	36	प्रभागीय वनाधिकारी टौंस वन प्रभाग, पुरोला उत्तरकाशी।	मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-6 एवं वाउचर उपलब्ध न कराने के कारणों से अवगत कराना।	435000.00	निस्तारित

14	45	उपरियोजना निदेशक यू. डी.डब्लू.डी.पी. फेज टिहरी थत्यूड।	प्रक्योरमेंट (नियमावली) अनुपालन न करने के संदर्भ में।	3249564.00	निस्तारित
15	46	प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडाउन वन प्रभाग।	प्रक्योरमेंट (नियमावली) का अनुपालन न सुनिश्चित किया जाना।	913700.00	
16	47	मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबंध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	टी.डी.एस. जमा में चालान उपलब्ध न कराने के संबंध में।	77017.00	निस्तारित
17	48	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल।	मासिक लेखे के साथ वाउचर उपलब्ध न कराने के संबंध में।		निस्तारित
18	49	परियोजना निदेशक, यू.डी. डब्लू.डी.पी. मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल।	प्रक्योरमेंट नियमावली अनुपालन न करने के संदर्भ में।	805283.00	निस्तारित
19	53	उपरियोजना निदेशक यू. डी.डब्लू.डी.पी. फेज टिहरी थत्यूड।	एक बार में दो लाख से अधिक की सामग्री क्रय की गयी।	17.26 लाख	निस्तारित
20	54	प्रभागीय वनाधिकारी अंलकनंदा भूमि संरक्षण, वन प्रभाग, गोपेश्वर	किन कारणों से कार्यों को टुकड़ों में विभाजित किया गया।	11 लाख	निस्तारित
		कुल योग		10766731.525	

परिशिष्ट-19

वन प्रभाग को प्रेषित लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण जिनके प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.2022 तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

(भाग-द्वितीय)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	प्रथम उत्तर प्राप्ति
AMG/FR-01/2021-22	अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन देहरादून।	नहीं
AMG/FR-02/2021-22	निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून।	नहीं
AMG/FR-03/2021-22	उप वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग कालसी देहरादून।	नहीं

AMG/FR-04/2021-22	उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग मसूरी देहरादून	नहीं
AMG/FR-10/2021-22	प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर वन प्रभाग मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल	नहीं
AMG/FR-15/2021-22	प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार	नहीं
AMG/FR-18/2021-22	उपवन संरक्षक, कालागढ टाईगर रिजर्व लेन्सडोन (गढ़वाल)	नहीं
AMG/FR-19/2021-22	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी	नहीं
AMG/FR-20/2021-22	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी	नहीं
AMG/FR-22/2021-22	विभागीय मूल्यांकन टिप्पणी , वन विभाग उत्तराखंड	नहीं